(भारत के राजपत्र असाधारण भाग--II-खण्ड--3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 30/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी, 2016

विषयः– **आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 08081000 के तहत सेबों की आयात नीति शर्तों में संशोधन।**

सा0 आ0 (अ0): समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) 2012–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 08 के एक्जिम कोड 08081000 के तहत सेबों की आयात नीति की शर्तों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	नीति शर्तें	संशोधित नीति शर्तें
08081000	सेब	मुक्त	केवल न्हावा शेवा पत्तन से आयात	(i) कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, कोचीन में समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन दोनों से आयात और दिल्ली में भूमि पत्तन और हवाई पत्तन से (ii) भारत की भू सीमाओं से भी सेबों का आयात अनुमत है।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

एक्जिम कोड 08081000 के तहत शामिल मद "सेबों" का आयात **कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और कोचीन में समुद्री पत्तन और हवाई पत्तन से और दिल्ली में भूमि पत्तन और हवाई पत्तन से अनुमत है। भारत की भू सीमाओं से भी सेबों का आयात अनुमत है।**

(अनूप वधावन)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा0सं0 01/89/180/0079/एएम99/पीसी–2(ए) से जारी)